

THE FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 1998

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदया, The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill के बारे में यह संशोधन आया है। यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, यह छोट सा संशोधन है और स्टैंडिंग कमेटी ने बड़े लंबे deliberations इस पर किए हैं।

उपसभापति: संशोधन छोटा है लेकिन वह कागज बहुत मोटा है।

श्री शरद यादव: वह हो सकता है। यह जो अमेंडमेंट बिल है...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): इसमें क्या है, यह बता दीजिए...(व्यवधान)...

कुछ माननीय सदस्य: आप पढ़कर आए हैं ना...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: मैं सोचता हूँ कि ये खुद पढ़कर नहीं आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं यह जरूर मानता हूँ कि मैं बाहर था, जल्दी से यहां आया हूँ लेकिन...(व्यवधान)....

उपसभापति: यह किस कंट्रैक्ट के बारे में है?

श्री शरद यादव: महोदया, Forward Contracts (Regulation) Act में कुछ खामियों की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया। इसमें या SEBI के प्रावधानों के अनुसार बनाने की ओर इशारा किया गया है। इसमें जो अमेंडमेंट करना है, इसके लिए 1993 में कमलनयन कामरा कमेटी बनी थी। उस समिति ने Forward Contracts (Regulation) Act को कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे ताकतवर किया जाए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1994 में सरकार को दे दी थी। 1996 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद इस ओर ध्यान गया कि किसानों को उसकी फसल का किस प्रकार उचित मूल्य दिलाया जा सकता है। दिसम्बर, 1998 में आरिजनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया था जिसे लोक सभा स्पीकर ने राज्य सभा के चेयरमैन से विचार-विमर्श करने के बाद संसदीय स्थायी कमेटी को भेज दिया था। मैडम, 12वीं लोक सभा का डिज्जोलूशन हो गया इसलिए यह बिल आ नहीं सका और जो...(व्यवधान)

उपसभापति: मुझे लग रहा है कि मंत्री जी, सब लोग यहां हाउस में मालूम करना चाहते हैं इक्लूडिंग मी, कि यह फारवर्ड कांट्रेक्ट क्या होता है। अमेंडमेंट तो ठीक है आप लाए हैं हम लोग पास कर देंगे पर वह बेसिक फारवर्ड कांट्रेक्ट क्या चीज है?

श्री शरद यादव: मैडम, मैं बहुत मोटे तौर पर उसको समझाना चाहता हूं। एक तो जो एक्सचेंज हमारे यहां चल रहा है जिसके बारे में आजकल टी-सी० से लेकर हर जगह इस तरह कि खबर बनती नहीं है तथा इसके अंत में जो सेंसेक्स हैं वह सब दिए जाते हैं जो वह मनी का एक्सचेंज है। फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ कर्मांडीटिज का है। जो उत्पादन होता है, जो मेगेरियल है जिसको फिजिकली एक दूसरे को दिया जाता है उसके एक्सचेंज का नाम फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज कहलाता है। एक में पैसे का बड़ा लेन-देन है। इसमें खास करके मध्य वर्ग के लोग जो बाजार के बारे में जानते हैं वही इसमें रहते हैं। इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, मनी वाले हैं वे भी लगेंगे लेकिन हिन्दुस्तान के किसान को भी इससे पता चल जाएगा जिसको वायदा बाजार कहते हैं, हमारे यहां परम्परा है कि इसको वायदा बाजार कहते हैं। वायदा बाजार से यह पता लग जाएगा कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 12 महीने बाद, एक साल बाद क्या दाम होने वाले हैं उसी से जो Crop डिवर्सिफिकेशन किया जा रहा है जिसकी बड़ी जरूरत इस देश में है। यह जो कानून है जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन इसको सजाओं में किया जा रहा है उसके चलते इसमें मजबूती आ जाएगी, उसमें मुकम्मिल ताकत आ जाएगी।

इसमें दो ही अंतर हैं। एक अंतर यह है कि वह पैसे के लेन-देन का हो जो मनी का है और यह केवल कर्मांडीटिज का है। खास करके इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिन्दुस्तान के जो किसान हैं वे अपनी आने वाली फसल के बारे में प्लान कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि कौन-सी ऐसी फसल है जिसके अच्छे दाम मिलेंगे तो उसके अनुसार वह अपनी सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और उनको बाजार से अच्छे-अच्छे कीमत पर मिल सकती है। इसका मोटा सोंधा-सोंधा एक ही अर्थ है। अभी इस समय इसका जो बिजनेस है वह दो साल से चूंकि पिछले साल 2002 में प्रधानमंत्री जी ने इसका एनाउंसमेंट किया था कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है कर्मांडीटिज का उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। उसके बाद एक लाख करोड़ रुपये का धंधा इसमें आ गया है। यानी इस समय जो फ्यूचर ट्रेडिंग के चार नेशनल एक्सचेंज बनाए हैं उनमें तकरीबन एक लाख हजार करोड़ रुपये का बिजनेस आ चुका है। अतः मैं सोचता हूं कि तीन-चार पांच वर्ष में विस्तार के बाद एक बड़ी टर्न ओवर बन जाएगी। लेकिन अभी तक इसको हम चला रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसको स्वायत्त किया जा सकता है, इसको और ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब हम इसको चलाकर इसमें मजबूती लाते हुए, इसमें ट्रांसपिरेसी लाते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।

उपसभापति: आपका मतलब है कि जो आढ़ती आकर के कांट्रेक्ट कर देता था किमान से कि 6 महीने के बाद में फसल ले लूंगा यह उसके मिलमिले में है?

श्री शरद यादव: नहीं, इसमें एक्सचेंज होंगे। जैसे मान लो गेहूं है, चावल है, गुड़ है, जो वस्तुएं हैं उनके दाम वाकायदा ऑन लाइन सारे देश और दुनिया भर के बाजार में इसके अवेलेबिल होंगे, सब लोगों को पता होगा और जो एफ०सी०आई० है सो०डब्ल्यू०सी० उसके साथ कल ही जोईंट वेंचर जिसका प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया है जो अहमदाबाद में नेशनल कर्मांडिटीज एक्सचेंज है उसका भविस्य सिर्फ इतना है कि यह व्यापार है जो पूरे देश भर में सब चीजों के सामान के लिए खुल गए हैं। सब वस्तुओं के आने जाने पर... (व्यवधान)

डा० अब्दुल अहमद (राजस्थान): दाम तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। ... (व्यवधान)...

श्री शरद यादव: इसलिए समय पहले 11 दिन था, अब तीस दिन...

डा० अब्दुल अहमद: कितनी पैदावार होगा, कितना उत्पादन होगा, कितना अवेलेबल होगा। दाम तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं।

उपसभापति: मैं आपका नाम बोलने के लिए लिख लूं क्या? ... (व्यवधान)...

श्री शरद यादव: मैं कौन सा आपसे अलग बात कह रहा हूं। महोदय, इसमें सिर्फ थोड़े से संशोधन हैं। पहले एक कर्मांडिटी को दूसरी जगह फिजीकली पहुंचाने के लिए 11 दिन थे, अब तीस दिन कर दिए गये हैं पहले इसमें एक हजार जुर्माना था, अब इसको बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है। ... (व्यवधान) ... बहुत छोटे-छोटे संशोधन हैं, बड़े संशोधन नहीं हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किया है। ... (व्यवधान) ... उसके बाद आपने संशोधन दिया है, 25 लाख का...

श्री शरद यादव: जी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जुर्माना पांच हजार किया है और वह तर्क दे रहे हैं कि क्यों पांच हजार किया है। दस हजार की अनुशंसा थी ... (व्यवधान)...

श्री शरद यादव: आप ठीक करिए न।

उपसभापति: ये पढ़कर आयी हैं। लगता है आप सब पढ़कर आयी हैं। ... (व्यवधान) ... ठीक है मंत्री जी।

The question was proposed.

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, मंत्री जी यहां पर जो अमेंडमेंट बिल आए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसाकि मंत्री जी ने बताया कि वायदा बाजारों की हमारे

देश में बहुत पुरानी परम्परा रही है। देश में कृषि के क्षेत्र में जो पैदावार होती है, उसका उचित दाम किसानों को मिलना चाहिए, वह एक पक्ष है। इस कृषि की पैदाइश के कारण उद्योग के क्षेत्र को कच्चा माल समय पर मिलना चाहिए, किफायती दाम पर मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वे चीजें उपलब्ध रहें, यह ऐन्शोर करने के लिए ऐसे वायदा बाजारों की शुरुआत हमारे देश में करीब 128 साल पहले हुई थी। Exactly in the year 1875, this Commodity Exchange was started in India, and just to begin with, it was started in cotton कपास वह शुरू हुआ था। महोदया, इसमें दो चीजें रहती हैं फंक्शंस हैं। एक तो चीज के दाम क्या होने चाहिए, प्राइस डिसकवरी और दूसरा प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इस वायदा बाजारों के कारण संभव हो सकता है। अगर किसी चीज की कृत्रिम कमी हमारे देश में हो जाए तो उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं और उसका असर यह होता है कि जिस उद्योग के क्षेत्र में यह कच्चा माल जाने वाला है, उस उद्योग के क्षेत्र में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आप कपास का उदाहरण लीजिए। देश में विपुल मात्रा में आज कपास का उत्पादन हुआ है, इसके कारण यह तय किया गया कि इस साल हम हमारे देश में कपास का आयात नहीं करेंगे। पिछले साल परिस्थिति यह थी कि कपास का जितना उत्पादन हुआ था लेकिन हमारी टेक्सटाइल मिलों की आवश्यकता उससे ज्यादा थी इसलिए हमने विदेशों से कपास को आयात करने का निर्णय किया था। इसलिए आयात या निर्यात करने का निर्णय बहुत कुछ इस पर निर्भर रहता है जिससे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल हमारे देश में उपलब्ध हो सके। हमारे देश में किसानों को किफायती दाम मिलने चाहिए, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलने चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि बम्पर क्राप होने के कारण उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसिज़ नहीं मिल पाते लेकिन वायदा बाजारों के कारण किसानों को यह एश्योरेंस मिलती है। आने वाले समय में अपने कृषि उत्पाद को वह किस दाम पर बेच सकेगा, उसका उसे पता रहे सकता है। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये वायदा बाजार महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। वैसे इस वायदा बाजारों में जो काम करने वाले हैं वे सब व्यापारी हैं उसमें एक प्रावधान यह रहता है कि आप कमोडिटी एक्सचेंज में जाकर जो काम करते हैं तो उस माल की आपको डिलिवरी देनी है लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज में काम करने वाले अनेक व्यापारियों द्वारा इस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ करता था जिसको सट्टा बाजार बोलते हैं। लेकिन इसमें लेन-देन की कोई बात नहीं होती थी। व्यापारी जाकर सौदा कर लेता था, वास्तव में जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी और उसकी बिक्री के दामों में कुछ तफावत रहता था, उसका भुगतान हुआ करता था। यह सारी व्यवस्था से अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए आर्थिक दृष्टि से सभी विभागों में इसकी उपयोगिता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो इसका उपयोग किया जाना चाहिए था वह नहीं हो रहा था। इसके कारण इसके ऊपर हमारे देश में आज एक फारवर्ड मार्केट कमीशन नियंत्रक के रूप में काम कर रहा है। इस फारवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा पूरे देश में जितने भी कोमेडिटी एक्सचेंज चल रहे हैं, उनका नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बातें बताई हैं। उनको सरकार और मंत्रालय को ध्यान

में रखना होगा। स्टैंडिंग कमेटी ने बताया है, "the Ministry have, however, informed the Committee that they are trying to induce some new features such as setting up of National Commodity Exchange, bringing in professionalism in the working, better clearing mechanism, simplification of reporting system, gradual demutualization and merger on the basis of agri-parameters, etc. for strengthening the Forward Markets Commission, to achieve its objective of making future steering more purposeful. जो बातें कमेटी ने कही हैं, सरकार को उन बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ वायदा बाजारों में जो काम किया जाता है उसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण आए, प्रोफेशनलिज्म आए और वह प्रोफेशनल लाइन पर काम करे। इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोफेशनल्स हायर करके रखे जाएं या इन प्रोफेशनल्स को यह बात कही जाए। यह बात भी आवश्यक है। कमेटी ने एक बात की और भी ध्यान दिलाया है। The Enforcement division of the Forward Markets Commission should be further strengthened. आज व ग होता है कि कोई इल्लिगल आउट साइड दि फोरवर्ड मार्केट वैसे सौदे होते हैं उनको हम अनधिकृत कहेंगे। अगर हमारे ध्यान में आता है कि वह हमारे अर्थतंत्र को, आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक विभागों को नुकसान पहुंचाता है तो इस दृष्टि से फोरवर्ड मार्केट्स कमीशन में जो इन्फोर्समेंट डिविजन है उसको मजबूत बनाना होगा। इसीलिए कमेटी ने यह कहा है कि The Enforcement Division of the Forward Markets Commission should be further strengthened and they should be given powers to prosecute illegal traders by filing suits in the lower courts, directly eliminating the intervention of the State Police. For this, professionally managed Intelligence Wing should immediately be created in the Forward Markets Commission. सरकार को स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखकर काम करना होगा। इस अमेंडमेंट से उसमें जो सुधार लाया गया है। अभी फारवर्ड मार्केट्स कमीशन में मेम्बर्स की संख्या अभी सिर्फ चार ही है। इसको बढ़ाकर सात करने का प्रावधान कर दिया गया है। आज तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई डेफिनिशन नहीं थी, इसे इसमें डिफाइन किया गया है।

एक जिक्र यहां पर यह हुआ कि कमेटी ने फाइन एक हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए तक करने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने यह प्रावधान किया है। कि फाइन पांच हजार रुपए तक का ही कर दिया जाएगा।

मैडम, हमारे देश में जो न्याय की व्यवस्था है, उसमें जो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके अधिकार क्षेत्र में पांच हजार रुपए से ज्यादा का जुर्माना करने का अधिकार नहीं रहता। सिर्फ जो सेशनस अदालत हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में दस हजार रुपए का जुर्माना करने का अधिकार रहता

है। ये कोमोडिटी एक्सचेंज तो छोटे-छोटे स्थानों पर भी चलते हैं, जहां ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। अगर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाना है तो यह मामला सेशन अदालत में ले जाना पड़ेगा। यदि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई डिसीजन आता है, कोई जजमेंट आती है तो आप उस पर अपील करके सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर सेशन कोर्ट में कोई बात आती है और आपको कोई अपील करनी है तो आपको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने यह सोचा है कि इस काम में कोई दिक्कत न आ जाए, यह काम सरलतापूर्वक हो सके, इसके कारण जुर्माना एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का निर्णय किया गया है और इसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

एक दूसरा प्रावधान यह भी किया गया है कि पुराने एक्ट में जो प्रावधान था वह यह था कि ग्यारह दिन में आपको फिजीकल डिलीवरी देनी पड़ेगी लेकिन अब यह फिजीकल डिलीवरी देने का समय बढ़ाकर तीस दिन का किया जा रहा है। वास्तव में यह बात इसलिए उपयुक्त है क्योंकि आज इतने कम समय में जो भी कांट्रैक्ट किया है, जो भी सौदा किया है, उस पर अमल करना है, उसके लिए जो गुड्स प्रोक्षोर करने पड़ते हैं और डिलीवरी देनी पड़ती है उसमें काफी समय लगता है। इसके लिए यह जो ग्यारह दिन से तीस दिन करने का प्रावधान है, यह भी लाभकारी है।

एक दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि इस कांट्रैक्ट के कारण पहले यह हुआ करता था कि आप डिलीवरी दें या न दें। इसके कारण अनेक आर्थिक गड़बड़ियां हुआ करती थीं लेकिन इसमें यह प्रावधान स्पष्ट रूप से है कि आपने जो सौदा किया है वह आपको फरजियात रूप से निभाना पड़ेगा और आपको उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। इसके कारण जो अनेक अनियमितताएं ध्यान में आती थीं हम उन पर नियंत्रण पा सकेंगे।

मैडम, हमारे देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और रबानगीकरण के इस युग में आयात और निर्यात का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता है। देश में जो आयात करने वाले लोग हैं और जो निर्यात करने वाले व्यापारी हैं, दोनों को आयात-निर्यात करने में जो जोखिम उठाना पड़ता है, उसे इस कोमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा सुरक्षित बना सकते हैं। कितना आयात करना है, कब आयात करना है, कितना निर्यात करना है, कब करना है, इसका निर्णय लेने में यह कोमोडिटी एक्सचेंज मददगार होता है। हमारे देश में किसानों को मदद मिलती है, व्यापारियों को मदद मिलती है, आयात और निर्यात के व्यापार को मदद मिलती है। हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी विभागों को ऐसे कोमोडिटी एक्सचेंज से मदद मिलती है। जिन बातों को प्रावधान करके, सुधार करके, अमेंडमेंट करके इस बिल में लाया गया है वे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारे देश में सभी के लिए लाभप्रद होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभापति: आप बोले तो समझ में आया कि हम क्या बात कर रहे थे। यह समझ में आया कि लेजिस्लेशन क्या है। इट इज ए फॉरवर्ड कोमोडिटी एक्सचेंज। अब गुफरान जाहिदी साहब आप बोलेंगे या मैं किसी और को बुलाऊं?

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): किसी और को बुलाइये।

उपसभापति: ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए। श्रीमती सरला माहेश्वरी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय उपसभापति महोदय, जो विधेयक, 1991 में बरनाला जी द्वारा पेश किया गया था अब इतने वर्षों बाद हमारे मंत्री जी इसे ला रहे हैं और वह भी जिस स्थिति में ला रहे हैं और इसके उद्देश्य क्या है, उनके बारे में वह भी इतने गंभीर नहीं हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]

बहरहाल उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के सर्राफा बाज़ार में सटोरियों की गतिविधियों को रोकने अथवा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया यह मामूली सा संशोधन विधेयक है। उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो यह संशोधन विधेयक बहुत ही मामूली सा जान पड़ता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जा कर देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसके कितने गंभीर निहितार्थ हैं। इसके पीछे इस सरकार का दर्शन क्या है। कौन सी वे आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर या जिन परिस्थितियों के दबाव में आकर, हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है। उपसभाध्यक्ष जी, इस संशोधन विधेयक के बारे में मैं यह कहना चाहूँगी कि इसकी स्थिति सतसैय्या के उस दोहरे की तरह है कि “सतसैय्या के दोहरे, देखन में छोटे लगें, धाव करें गंभीर” और मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूँगी कि मंत्री जी आप जिस संशोधन विधेयक को बहुत मामूली सा संशोधन विधेयक समझ कर लाए हैं और इस ख्याल से यह लेकर आए हैं कि इससे हमारे किसानों को लाभ होगा। अगर मंत्री जी ने इसकी पूरी पृष्ठभूमि की ओर ध्यान दिया होता तो मैं समझती हूँ कि वे इस पर और ज्यादा गंभीरता से विचार करते और इस बात को सोचते कि भारत की अर्थ व्यवस्था को हम आज कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे याद पड़ रहा है आज से लगभग 13 वर्ष पहले जब सेबी का गठन किया गया था, सैक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया, उस समय सेबी के गठन के समय मुझे उस पर बोलने का मौका मिला था। वह सेबी का दौर हम सब को याद है, जब हर्षद मेहता का बाज़ार में बोलबाला था और हर्षद मेहता के जमाने में जो भंयकर शेयर घोटाला हुआ था उसको भी हम सब भूले नहीं हैं। हमारे देश का शेयर बाज़ार हमारे देश के लाखों छोटे-छोटे शेयर निवेशकों का समाधि स्थल बन चुका था। उस समय सरकार सेबी के गठन का प्रस्ताव लेकर आई थी और आम जनता के अंदर यह भरोसा पैदा करना चाहती थी कि शेयर बाज़ार की कितनी साख है, शेयर

बाज़ार पर से आप अपना विश्वास मत हटाइये। शेयर बाज़ार को नए सिरे से मर्यादित करने के लिए शेयर बाज़ार की साख को पुनः स्थापित करने के लिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, वह विधेयक लाया गया था। उस समय उस सेबी के विधेयक पर बोलते हुए मैंने यह कहा था कि यह सेबी और कुछ नहीं, बल्कि एक धोखे की टट्टी है। इसके पीछे इस सरकार का उद्देश्य सीधे-सीधे निजी पूंजी को बढ़ावा देना है और सरकार उसी दिशा में जिस तरह सोचे-समझे ढंग से अग्रसर हो रही है, यह सेबी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। उपसभाध्यक्ष महोदय, विगत 13 वर्षों का हमारा अनुभव इस बात की गवाही देता है कि जिस उद्देश्य के लिए "सेबी" को लाया गया था शेयर बाज़ार की साख स्थापित करने के लिए, शेयर बाज़ार को मर्यादित करने के लिए, क्या "सेबी" अपनी वह भूमिका अदा कर पाई है? क्या "सेबी" और नए घोटालों को होने से रोक पाई है? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि नहीं। "सेबी" अपनी वह भूमिका अदा नहीं कर पाई, "सेबी" और एक घोटाले को होने से नहीं रोक पाई। "सेबी" यू०टी०आई० को इतने बड़े घोटाले को रोक नहीं पाई जिसमें हमारे देश के दो करोड़ छोटे-छोटे निवेशक तबाह हो गए। उपसभाध्यक्ष महोदय "सेबी" का यह अनुभव तो हमारे सामने है, लेकिन सर्राफा बाजारों का जहां तक सवाल है, इन सर्राफा बाजारों को नियंत्रित करने के लिए फारवर्ड मार्किट कमीशन का गठन 1952 में ही कर दिया गया था और इस आयोग का मुख्य काम क्या था? उस कानून के जरिए यह बताया गया था, यह व्यवस्था की गई थी कि इसका मुख्य काम सर्राफा बाजारों में जो तेजी-मंदी लड़ाने का काम सिटोरिए लोग किया करते हैं, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना है ताकि हमारे देश के उद्योगों को जिस कच्चे माल की जरूरत होती है, वह कच्चा माल उनको सही समय पर, उचित दाम पर मिल सके। इसी उद्देश्य के तहत उसका गठन किया गया था। लेकिन, उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षों का हमारा अनुभव क्या बताता है? ललित भाई बोल रहे थे लेकिन वे इस बात को भूल गए कि हमारे अपने अनुभवों के चलते हमारी सरकार को विवश होना पड़ा था और 60-70 के दशक में इस फ्यूचर ट्रेडिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी और यही वह पृष्ठभूमि थी, क्यों पाबंदी लगा दी गई? सिटोरियों की इन गतिविधियों के चलते पाबंदी लगा दी गई थी और जब सरकार आगे आई, सरकार ने जूट और कपास की खरीद की व्यवस्था की—जूट कारपोरेशन आफ इंडिया का गठन किया गया, इसी तरह से कपास की खरीद के लिए सरकारी संस्थाओं का गठन किया गया और एक पूरा सरकारी तंत्र विकसित हो गया और सट्टेबाजों की जो अनैतिक गतिविधियां चल रही थी, उन अनैतिक गतिविधियों को कुछ अंश तक काबू में किया जा सका और हमारे देश के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके और उस समय मिला और इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी, उस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि आज इस प्रकार कुछ नकद फसलों के लिए किसानों को लाभजनक जो मूल्य मिल रहे हैं, अब उल्टी दिशा में जाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास को फिर से पीछे की ओर घुमाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम फिर वहीं इतिहास दोहराएंगे तो हमारा इस अर्थव्यवस्था

का क्या होगा? क्यों उसी इतिहास की ओर लौटा जा रहा है? उपसभाध्यक्ष महोदय, आज चारा और निजीकरण को बोलवाला है और जहां तक निजीकरण की नीतियों का सवाल है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का सवाल है, डब्ल्यूटीओ की नीतियों का सवाल है, हमारी सरकार पहले की अन्य सरकारों के कई गुना आगे तेजी से भग रही है, उनकी नीतियों के सामने आत्मसमर्पण कर रही है बिना इस बात को सोचे हुए कि इस बात का, उनकी नीतियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के किसानों पर क्या असर पड़ेगा। सरकार की जो नीतियां हैं, वह जो मार्केट इकॉनमी की नीति है बाजार अर्थव्यवस्था की, मुझे दुख होता है कि तमाम सरकार के लोग खुलेआम यह कहने हैं कि यह काम सरकार का नहीं है, यह काम सरकार का नहीं है और मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था ही जब सरकार की सोच का केन्द्र बन जाती है, तब मुझे यह कहते हुए कतई हिचक नहीं होती कि तब इस तरह की नीतियां सरकार लेकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए मैं मनीषी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो नीतियां हैं, जिन नीतियों की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, उन नीतियों के फलितार्थ हमारे देश की कृषि के लिए क्या होंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होंगे, इसको समझने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उस समय कपास, तिल आदि के सर्राफा बाजार थे, जूट के सर्राफा बाजार थे, और आज आप नयी-नयी चीजों के हल्दी के काली मिर्च के, आलू के, अनाज के, तमाम चीजों के सर्राफा बाजार आप खोल रहे हैं। अभी मैं दो दिन पहले अखबार में पढ़ रही थी, Economic Times में बहुत बड़ा सा विज्ञापन था—माननीय प्रधानमंत्री जी फ्यूचर ट्रेडिंग के मार्केट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महोदय, इसी पृष्ठभूमि में मैं इस संशोधन कानून के बारे में यह बात दर्ज करना चाहूंगी कि SEBI की तरह यह भी एक धोखे की चीज है। आम लोगों और उद्योगों की बुनियादी जरूरतों को दरकिनार करते हुए यह सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह आम जनता के हितों के प्रति वफादार है और उसे इस बात की चिंता है कि उद्योगों को कच्चे माल का वितरण, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सही समय पर सही ढंग से हो लेकिन असल में सरकार अपनी भूमिका खत्म करने जा रही है और निजीकरण का रास्ता प्रशस्त करने की ओर बढ़ रही है।

महोदय, अग्रिम संविदा ऐक्ट द्वारा जुर्माने की राशि बढ़ाने के बारे में मंत्री जी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि उसे एक हजार रुपए से पांच हजार रुपए का देंगे। कमेटी ने इसके लिए अनुशंसा की है और इससे पहले भी कामरा समिति ने जो अनुशंसाएं की थीं, उन अनुशंसाओं की पृष्ठभूमि में वे यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। कमेटी ने तो दस हजार रुपए का प्रस्ताव रखा था लेकिन ललितभाई ने अभी बताया कि किन कारणों से उसे रद्द किया गया और अब मंत्री जी 25 लाख तक का संशोधन लेकर आए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या आप फिर एक दिवा-स्वप्न खड़ा नहीं कर रहे हैं? क्या आप फिर एक धोखे की चीज खड़ी नहीं कर रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के

और? महोदय, दस हजार रुपए के लिए तो इतनी ऊपर की अदालत में जाना पड़ेगा और लाखों रुपए के लिए कितने कानून के पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या आपको उसका कोई अंदाज है? इनको इसका कतई अंदाज नहीं है। इसलिए यह सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि सरकार कितनी गंभीर है और सरकार सट्टेबाजी को कितना रोकना चाहती है।

महोदय, इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि फॉरवर्ड मार्केटिंग को कानूनी मर्यादा देने की जो पेशकश की जा रही है, आज की इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय में हमारी सरकार जिस दिशा ही और बढ़ रही है, उसी के तर्कों के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। महोदय, आज के युग को हम वाणिज्य का और व्यापार के विस्फोट का युग कहते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे शेयर बाजार को विदेशी पूंजी अपने ढंग से नचा रही है। अभी दो दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, अखबारों में यह आया था कि अगर शेयर बाजार से विदेशी पूंजी को निकाल दिया जाता है यह जो हमारा शेयर बाजार अभी इतना ऊंचा उठा हुआ है, उस शेयर बाजार की हालत क्या होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी ... (व्यवधान) वे शायद सलाह-मशविरा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप बोलिए, दूसरे मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ?

एक माननीय सदस्य: वे भालूमात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): दूसरे मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री शरद यादव: मे दो कान हैं, मैं सुन रहा हूँ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: चलिए, किस कान पर विश्वास करेंगे यह तो बता दीजिए? एक कान इधर है और दूसरा कान उधर है। ... (व्यवधान) मेरे पर ज्यादा करेंगे तो देश का कल्याण होगा।

उपसभाध्यक्ष, महोदय, मैं बात कर रही थी कि किस तरह हमारे शेयर बाजारों का विदेशी पूंजी नियंत्रित कर रही है। जब आप इस तरह निजीकरण का बोलवाला कर रहे हैं, निजी पूंजी को छूट दे रहे हैं, कहीं आने वाले समय में कहीं ऐसा तो न हो कि हमारे इन सर्राफ बाजारों पर भी विदेशी पूंजी हावी हो जाए और विदेशी पूंजी का खेल चले। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने और माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि सर्राफ बाजार के खिलाड़ा कौन होंगे। कम से कम तय करते समय यह तो तय कर दीजिए कि यहाँ विदेशी पूंजी को खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जो नियंत्रण की बात कर रहे हैं, नियमन की बात कर रहे हैं,

सट्टेबाजी को रोकने की बात कर रहे हैं तो इसमें पहली जरूरत तो इस बात की है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि आप इस सर्राफा बाजार में विदेशी पूंजी के प्रवेश को रोकने की पूरी व्यवस्था करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह भी कहना चाहती हूँ कि चूंकि मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और हमारे माननीय सांसद पूछेंगे कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। चूंकि मेरी इच्छा से कुछ नहीं चलता। हमारी इच्छाओं के बावजूद सर्राफा बाजार बना हुआ है और जब सर्राफा बाजार बना हुआ है। तो जाहिर है कि जब हम सर्राफा बाजार को रोक नहीं सकते तो सर्राफा बाजार का नियमन करने के लिए, उसको रेग्युलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कानूनों की भी जरूरत होगी और इसलिए भले ही यह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल होता है उसके नियमन करने का, उसको नियंत्रित करने का यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसका तो मैं समर्थन करती हूँ, इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि सर्राफा बाजार में कुछ और भी तरह की धांधलियां चलती हैं जिनका मैं संक्षेप में कुछ जिक्र करना चाहूंगी। एक तो बात एंफोर्समेंट विभाग की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, असल में हकीकत क्या है कि जिस एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट का काम सर्राफा बाजार में सट्टेबाजी को रोकना या नियंत्रित करना है उसको देखना है, वह एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट करता क्या है वह सट्टेबाजी को रोकता नहीं है बल्कि जो सट्टेबाज हैं उन सट्टेबाजों से रुपया लेने का काम करता है। और सर्राफा बाजार में जो विभिन्न प्रतिद्वंद्वी हैं वे विभिन्न प्रतिद्वंद्वी एंफोर्समेंट विभाग का इस्तेमाल अपने विरोधी को दबाने के लिए करते हैं ताकि अपना हित साध सके। यह जो एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जहां सरकार की मॉनोपोली है, सरकार की साझेदारी है, वह एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट मुट्ठी भर लोगों की इजारेदारी अगर बन जाए और स्वयं में भ्रष्टाचार की एक कड़ी बन जाए तो यह सर्राफा बाजार में सट्टेबाजी को कतई नहीं रोक सकता। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि वास्तव में एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट को मजबूत बनाइए और सर्राफा बाजार के नियमन के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और कठोर व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए तभी जो आप हमारे किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, आप स्वयं मंत्री जी देख रहे हैं कि किसानों की क्या हालत है। किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल नहीं रहा है और आप जब इस तरह की व्यवस्था कर देंगे कि सरकारी की भूमिका कुछ रहेगी नहीं, सरकार उनकी खरीद नहीं करेगी। आज किसान धरना लगाए हुए बैठे हैं, मंडियां भरी हुई पड़ी हैं। किसलिए? आप अपनी भूमिका से अलग हट रहे हैं और हिन्दुस्तान जैसे देश में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अगर सरकार अपनी भूमिका से जलग हटती है, किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझती, आम जनता के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि यह इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अशुभ संकेत है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि ये अपने विधेयक को गंभीरता से लें और मंत्री होने के नाते आपका यह गंभीर दायित्व बनता है कि आप इस बात को देखें कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। इस तरह के विधेयक अगर आप लाएंगे और इसके असली नितातों को आप नहीं समझेंगे,

इसके जो गहरे उद्देश्य हैं, उनको नहीं समझेंगे और सिर्फ इतना भर, कि कुछ कमेटियों ने आज के समय को देखते हुए अनुशंसा कर दी है, आप उन अनुशंसाओं को लेकर विधेयक लेकर हमारे सामने आ जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि वह खेल जो आज तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खेलना चाहती हैं, उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को साधने की आप कोशिश करेंगे और हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो इस देश की स्वतंत्र आर्थिक नीति की, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, उस बुनियाद की जड़ों में ही आप मट्ठा डालने का काम करेंगे। कृपया ऐसा काम न करें। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाइए, इस देश के किसानों को बचाइए। धन्यवाद।

تری خان غفران زاہدی (اتر پردیش): مہودے، میں تو اس پرنسزری جی کا لبا چوڑا بھاشن سننا چاہتا تھا تاکہ وہ بتائیں کہ کیا چیز ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اسے سمجھ رہے تھے، کچھ پوچھ بھی رہے تھے۔ ملک میں ایک organized sector اور dis organized sector ہے۔ ہمارے industrial consumer, capital good کا organized sector ہے اور کرشی پردھان دیش میں جو کرشی کا ٹوٹل سیکٹر ہے، وہ اس طرح organized نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کے بھی انسان لگتے ہیں کہ آگے کیسے پلان کیا جائے گا، کیسے اس کا رستارن ہو، کیسے فصل ٹھیک ہو اور اس کے صحیح دام مل جائیں۔ پہلے زمانے میں، زمانہ قدیم میں لوگ تین تین برس کی کھیتی کا سودا بھی کر لیتے تھے۔ فیوچر ٹریڈنگ۔ جسے مستقبل کی تجارت آئندہ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں۔ کاہی کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے، کمیشن فار فیوچر ٹریڈنگ کا۔ پہلے کی ٹریڈنگ اور پریزیٹ میں آکر دونوں کا کیسے ملن ہو، کیسے رائٹ منرل اتنا ہی پیدا ہو جتنی ملک کی ضرورت ہے جس سے وہ انڈسٹری میں کھپ سکے۔ ان دونوں کا مشن پروڈر ہو سکے، اس کے لئے اس کو بھی تھوڑا بہت organize کرنا چاہئے۔ عام طور سے پہلے لوگ چلے آتے تھے، بولیاں بول دیتے تھے اور کھیتوں کو لے لیتے تھے کہ تین سال کی فصل ہم نے لی۔ جو چاہتے تھے، دو چار آدمی ملکر آڑت طے کر لیتے تھے۔ دو چار زمین لیکر اسکو پیردے دیتے تھے اور اسی کے بدلے میں ایک systematic way میں disorganized کو organize کر کے، ٹریڈ کو ٹوٹل ملک کی انڈسٹریل پالیسی سے جوڑنا، اس کا فیصلہ کرنے کے لئے آئے۔ 13 برس پہلے یہی بن گیا۔ یہ 1993 میں آیا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھ گئی کہ اس کا پورا بیورا ہو۔ اس کے اندر خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اب ہم کیسے اتنا سمجھیں، لیکن اس میں خود لکھا ہوا ہے۔ کاہی کے لئے؟ کیونکہ اس میں جب

ایک بنا تھا تو اس میں فیوچر ٹریڈنگ کی definition ہی نہیں تھی۔ یہ خود اسمیں لکھا ہوا ہے کہ کیا definition ہوگی، بروکر کی کیا ہوگی، آؤت کی کیا ہوگی، کمیشن ایجنٹ رجسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فنانسنگ کے کیا پروویژنس ہوں گے، کس طرح "دلار" لفظ استعمال کیا ہے۔ بروکرس کا recognition ہوگا، کس طرح مال وقت کے اندر، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ سکے، جسے actual trading کہتے ہیں۔ وزوں اور انچول ٹریڈنگ میں کس طرح ہم نے فیصلہ لیا؟ پہلے وعدے پر فیصلہ ہوا کہ یہ ہوگا اور اس کے بعد جب آپ کو ٹرانسفر آف گڈس کرنا ہو تو پرنٹنگ ٹائم کے اندر اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ جیسے شرروں میں ہوتا ہے، فصل پیدا ہونے سے پہلے طے ہو جاتا تھا۔ ہمارے financial arrangement کے لئے کمیشن بنا ہوا ہے، شر ہولڈنگ کا ایک کمیشن یہی بنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں اگر اسکی ضرورت ہوگی تو اور اس میں زیادہ پیسے انویسٹ ہونے لگیں گے۔ اس شر کا بھاؤ بڑھ رہا ہے۔ آپ شر کا بھاؤ بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں کمیشن آنے کے بعد یہ وہی شکل اختیار کرے گا۔ آپ نے اس میں فیصلہ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، The commission shall consist of... اس میں یہ کہا ہے،

"5.(1) Any association concerned with the regulation and control of forward contracts which is desirous of being recognised for the purpose of this Act may make an application in the prescribed manner to the Central Government."

آپ رجسٹریشن کراؤ اس کے بعد کمیشن کے پاس جائے گا۔ کمیشن اس کی اس آؤت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کیسے قبول کرے گا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریڈنگ کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ٹریڈنگ میں لکھا ہوا ہے۔

اُپ سبھا پتی (شری رما شنکر کوشیک): آپ نے دیکھ لیا ہو تو آپ ہی بتادیں۔

شری خان غفران زاہدی: آپ نے اپنا کیس پیش کیا تھا، کیش کروپ کا، گئے گا۔ پہلے ٹریڈنگ کرتے تھے اور جو وہاں پرائمری چلتی تھی، فارورڈنگ ہوتی تھی کہ کتنا کتنا بویا جائے گا۔ ایک پلان ہوتا تھا، ایک یو جنا ہوتی تھی۔ آپ تو منتری رہے ہیں۔ یہ یو جنا بنا کر کرتے تھے۔ اب آج کل پوزیشن بالکل دوسری ہے۔ کسی فیکٹری کے کنارے گنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی فیکٹری کے کنارے گنا کم ہوتا ہے اور وہاں سے ایک جگہ

سے دوسری جگہ کے لئے فارورڈنگ چل رہا ہے۔ جو آؤٹ کا کیونچن ہے، اس کو recognize کرنے کے لئے اس میں انہوں نے تین چار فیصلے لئے ہیں۔ اس میں اسٹیٹ منٹ آف آبیٹک اینڈ رینجس میں لکھا ہے،

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

"The Government have been expanding the scope of future trading in India, in that direction, the Government had constituted a Committee in June, 1993 under the Chairmanship of Prof. K.N. Kabra."

یہ 1952 کا ایکٹ ہے۔ اس کے بعد ایک کمیشن بنھایا گیا اور اس نے اپنی recommendation کردی۔ یہ ایکٹ 1952 کا تھا اور اس کو کمیشن کے سپرد 1963 میں کیا گیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لن چیزوں پر ٹرن کرے گا۔

"To provide for a definition of futures contract as there is no definition of futures contract in the Act at present."

تو جیسی اس میں ڈیفینیشن ہے ہمارے ملک کی کتنی کرنسی ہے اور کہاں کیا چیز پیدا ہوگی؟ کیش کروپ کہاں ہے، جوٹ کہاں پیدا ہوگا اور کپاس کہاں پیدا ہوگی۔ ان سب پر کنٹرول کرنے کے لئے ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی کوئی پروپوزیشن نہیں ہے۔ اس میں آؤٹوں کی وجہیت سے، recognize association کی وجہیت سے ایک کمیشن اس کو ڈیفائن کرے اور اس پر فیصلہ لے اور اس میں یہ دیکھیں کہ آئندہ اس پر چل کر ہم کیسے کام لیں۔ اگر یہ وقت پر پیسہ نہیں دیتے ہیں تو اس پر پینلٹی لگا دو۔ آپ کو جو رجسٹریشن باڈیز ہیں ورک کریں گی۔ اگر وہ آؤٹ کا ورک نہیں کریں گی اور صحیح ورک نہیں کریں گی تو نام ڈک اینڈ ہیری کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک recognize باڈی ہوگی۔ وہ ایسوسی ایشن recognize اور کمیشن ڈیفینشن کو recognize کرے گا یا رجسٹر کرے گا۔ اس باڈی کا کام ہوگا کہ وہ وقت سے، پیسے سے اس طرح سے ڈیفائن کرے کہ فارورڈ ٹریڈنگ اگے آنے والے وعدے کے مطابق ہوتی، فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا کیا کمیشن ہوگا۔ وہ بھی طے ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسان کو لوٹ لے۔ اسکا صحیح دام دینے کے لئے، انکی یوجناؤں کو تیار کرانے میں ایک ہمدرد آؤٹ کو، منڈل میں کو بیچ میں آ کر نے کی کوشش کی ہے۔ انہیں کچھ پونڈیر دینی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اادن، ایک مہینے میں مال دے دیجئے نہیں تو اتنا بوجاے گا۔ آپ یہ بات کیسے نہیں گے۔ اس کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1952 سے پہلے بھی یہ وعدے ہوتے تھے، جب ایکٹ نہیں بنا تھا۔ یہ وعدے تب سے چل رہے تھے اور لوگ وعدے کر کے اپنی فصلیں اگاتے تھے۔ آج اس وعدے کو

recognize کرنے کے لئے انہوں نے یہ ایک بنایا ہے۔ اس میں جو پمپلیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مانٹرنگ جو سب سے بڑا بنیادی فرق پڑے گا۔ اسلئے کہ بہت سے unregistered لوگ اس میں ٹو دیں گے۔ رجسٹریشن کے لئے کوئی کمپلری رجسٹریشن نہیں کر دیا ہے کہ کمپلری کرنا ہی ہوگا، unregistered بھی بہت کریں گے۔ ان کی مانٹرنگ کیسے ہوگی، انہیں کیسے چیک کیا جائے گا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں اور کسانوں کو لوٹ نہیں رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیسے لیا جائے گا؟ اس کی مانٹرنگ، اسٹور سمیٹ اور گلوڑ کیسے باقاعدگی سے ہوگا؟ اسکو کیسے کیا جائے، یہ فیصلہ ہوگا، ہم نے دیکھا کہ ملحد آباد کے آسوں کی فصل تین تین سال پہلے ہی تک ہو جاتی ہے، بنارس میں پانچ پانچ سال پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ جو نیوچر ٹریڈنگ ہے، یہ ایک سوچ کی ٹریڈنگ ہے۔ یہاں پر زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کا ایک سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹور سمیٹ، مانٹرنگ جیسی چیزوں پر زیادہ زور دینا پڑے گا۔ اگر یہ سارے ملک میں قاعدے کے مطابق نہیں ہوا تو یہ بہت نقصان بھی کرے گا۔ بہت سے unrecognize اس میں چلے آئیں گے۔ وہ آکر کسانوں کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ یہ طے نہیں ہے کہ کسان کو پیسے کی دین داری، اس کی کنٹرولنگ کا کوئی فقرہ اس میں نہیں دیا گیا ہے۔ پورا ایکٹ پڑ لیجئے کہ کیسے کسان کے پیسے کو دیا جائے گا، اگر وہ ٹریڈنگ، نیوچر ٹریڈنگ ہوگی، اگر یہ وقت پر نہیں ہوتی ہے تو اس کی پینلٹی کیسے کریں گے؟ اس کی چیکنگ کیسے ہوگی؟ منتری جی، میرا خیال ہے کہ آپ اس ایکٹ کو ایک مرتبہ پورا ریویو کروائے۔ یہ 1952 کا ایکٹ ہے، 1993 میں recommendations دی ہیں۔ آپ اسے پورا ریویو کرا کے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کسان کا کہیں سے کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسے اسکیم کا ذکر ہوا، سبلیٹی تو اسکیم کا ذکر آ گیا۔ ایسا کمیشن ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے ضرور دیکھوا لیں۔ اس کی مانٹرنگ اور اسٹور سمیٹ کے بارے میں جو بالی لاج بنے ہیں انہیں اتنا سخت کریں تاکہ کسان کو نقصان نہ پہنچے۔

”خترش“

† श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं तो इस पर मंत्री जी का लंबा-चौड़ा भाषण सुनना चाहता था ताकि वे बता सकें कि क्या चीज है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वे खुद भी इसे समझ रहे थे, कुछ पूछ भी रहे थे। मुल्क में एक ऑरगनाइज्ड सेक्टर है और एक डिस्ऑरगनाइज्ड सेक्टर है। हमारे इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, कोपीटल गुड्स का ऑरगनाइज्ड सेक्टर है और कृषि प्रधान देश में जो कृषि का टोटल सेक्टर है, वह उस तरह ऑरगनाइज्ड नहीं है, हालांकि वह भी चीजें पैदा करता है, उसके भी अनुमान लगते हैं कि आगे कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे उसका निस्तारण हो, कैसे

4.00 P.M.

फसल ठीक हो और उसके उचित दाम मिल जाएं। पहले जमाने में, जमाने-कदीम में लोग तीन-तीन बरस की खेती का सौदा भी कर लेते थे। फ्यूचर ट्रेडिंग-जिसे 'मुस्तकबिल की तिजारत आइंदा कैसे होगी' कहते हैं-का ही आपने इसमें जिक्र किया है, कमीशन फार फ्यूचर ट्रेडिंग का पहले की ट्रेडिंग ओर प्रेजेंट में आकर दोनों का कैसे मिलन हो, कैसे राँ मैटीरियल उतना ही पैदा जितनी मुल्क की जरूरत है जिससे वह इंडस्ट्री में खप सके। उन दोनों का मिश्रण प्राप्य हो सके। इसके लिए इसको भी थोड़ा बहुत ऑरगनाइज करना चाहिए। आम तौर से पहले लोग चले आते थे, बोलियां बोल देते थे और खेतों को ले लेते थे कि तीन साल की फसल हमने ली। जो चाहते थे, दो-चार आदमी मिलकर आइत तय कर लेते थे। दो-चार जमीन लेकर उसको पैसा दे देते थे और उसी के बदले में एक सिस्टेमैटिक वे में डिसआरगनाइज्ड को ऑरगलाइज करके, ट्रेड को टोटल मुल्क की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी से जोड़ना, उसका फैसला करने के लिए ले आए। 13 बरस पहले सेबी बन गया। यह 1993 में आया। उसके बाद एक कमेटी बैठ गयी कि उसका पूरा ब्यौरा हो। इसके अंदर खुद एक जगह लिखा हुआ है, अब हम कैसे इतना समझें, लेकिन इसमें खुद लिखा हुआ है। काहे के लिए है? क्योंकि इसमें जब ऐक्ट बना था तो उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की डेफीनेशन ही नहीं थी। यह स्वयं इसमें लिखा हुआ है कि क्या डेफीनेशन होगी, ब्रोकर की क्या होगी, आइत की क्या होगी, कमीशन एजेंट रजिस्टर होंगे या नहीं होंगे, फाइनेंसिज के क्या प्रोवीजंस होंगे, किस तरह-“दलाल” शब्द इस्तेमाल किया है- ब्रोकर्स का रिकग्नीशन होगा, किस तरह माल वक्त के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, जिसे एक्चुअल ट्रेडिंग कहते हैं। विजुअल और एक्चुअल ट्रेडिंग में किस तरह हमने फैसला लिया? पहले वादे पर फैसला हुआ कि यह-यह होगा और उसके बाद जब आपको ट्रांसफर ऑफ गुड्स करना हो तो पार्टीकुलर टाइम के अंदर उसको ट्रांसफर करना होगा। जैसे शेयरों में होता है, फसल पैदा होने से पहले तय हो जाता था। हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए यह कमीशन बना हुआ है। शेयर होल्डिंग का एक कमीशन सेबी बना है। यह क्या है? मार्किट में अगर इसकी आवश्यकता बढ़ी तो और उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होने लगेंगे। इस शेयर का भाव बढ़ रहा है। आप शेयर का भाव बढ़ा रहे हैं। इसी तरह इसमें कमीशन आने के बाद यह वही शक्ति अख्तियार करेगा। आपने इसमें यह फैसला लिया है। इसमें लिखा हुआ है, 'दि कमीशन शैल कंसिस्ट आफ... इसमें यह कहा है,

"5.(1) Any association concerned with the regulation and control of forward contracts which is desirous of being recognised for the purposes of this Act may make an application in the prescribed manner to the Central Government."

आप रजिस्ट्रेशन कराओ उसके बाद कमीशन के पास जाएगा। कमीशन उसकी इस आइत को मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसे कबूल करेगा। यह एक सवाल पैदा हुआ है। अब इसके साथ साथ यह ट्रेडिंग का है। आप देख लीजिए, यह ट्रेडिंग में लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपने देख लिया हो तो आप ही बता दें।

श्री खान गुफरान जाहिदी: आपने अपना केस पेश किया था कैश क्रोप का, गन्ने का। पहले ट्रेडिंग करते थे और जो वहां पर इंडस्ट्री चलती थी, फारवर्डिंग होती थी कि कितना गन्ना बोया जाएगा। एक प्लान होता था, एक योजना होती थी। आप तो मंत्री रहे हैं ये योजना बनाकर करते थे। अब आजकल पोजीशन बिल्कुल दूसरी है। किसी फौक्री के किनारे गन्ना बहुत ज्यादा हो जाता है। और किसी फौक्री के किनारे गन्ना कम होता है। और वहां से एक जगह से दूसरी जगह के लिए फारवर्डिंग चल रहा है। जो आदत का कवेशन है, इसको रिकेग्नाइज करने के लिए इसमें इन्होंने तीन-चार फंसले लिए हैं। इसमें स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा है,

Statement of Objects and Reasons

"The Government have been expanding the scope of future trading in India. In that direction, the Government had constituted a Committee in June, 1993 under the Chairmanship of Prof. K.N. Kabra."

यह 1952 का एक्ट है। इसके बाद एक कमीशन बैठाया गया और उसने अपनी रिकमेंडेशन्स कर दी। यह एक्ट 1952 का था और इसको कमीशन के सुपुर्द 1963 में किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि किन-किन चीजों पर टर्न करेगा।

"To provide for definition of futures contract as there is no definition of futures contract in the Act at present."

तो बेसिकली इसमें डेफिनेशन्स हैं। हमारे मुल्क की कितनी कृषि है और कहां क्या चीज पैदा होगी? कैश क्रॉप कहां है, जूट कहां पैदा होगा और कपास कहां पैदा होगी। इन सब पर नियंत्रण करने के लिए जाहिर है गवर्नमेंट की अपनी कोई प्रोपर मशीनरी नहीं है। इसमें आदतों की वजीयत से, रिकेग्नाइज एसोसिएशन की वजीयत से एक कमीशन उसको डिफाइन करे और उस पर फैसला ले और उसमें यह देखे कि आइन्दा इस पर चलकर हम कैसे काम करें। अगर वे वक्त पर पैसा नहीं देते हैं तो उस पर पैनल्टी लगा दो। आपकी जो रजिस्टर्ड बांडीज हैं वर्क करेंगी। अगर वे आदत का वर्क नहीं करेंगी और सही वर्क नहीं करेंगी तो 'टॉम डिक एंड हैरी' खड़ा नहीं हो सकता। उसकी एक रिकेग्नाइज्ड बांडी होगी। वह एसोसिएशन रिकेग्नाइज्ड होगी और कमीशन डिजिजन को रिकेग्नाइज करेगा या रिजेक्ट करेगा। उस बांडी का काम होगा कि वह वक्त से, समय से इस तरह से डीलिंग करे कि फारवर्ड ट्रेडिंग अगर आने वाले बायदे के मुताबिक होती है, फंसले होते हैं तो उसका क्या कमोशन होगा। यह भी तय होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह किसान को लूट ले। किसान को उचित दाम देने के लिए, उनकी योजनाओं को तैयार करने में एक मददगार आदत को, मिडल मैन को बीच में रिकेग्नाइज्ड करने की कोशिश की है। उन्हें कुछ पैनल्टीज देनी होगी और कुछ नहीं होगा।

आप 11 दिन, एक महीने में माल दे दीजिए नहीं तो इतना हो जाएगा। आप यह बात कैसे कहेंगे। इसका यहां पर कोई जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि 1952 से पहले भी ये वायदे होते थे, जब एक्ट नहीं बना था। ये वायदे तब से चल रहे थे और लोग वायदे करके अपनी फसलें उगाते थे। आज उस वायदे को रिकेग्नाइज करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया है। इसमें जो पैनल्टी है, मैं समझता हूं कि इसमें मोनिटरिंग जो सबसे बड़ा बुनियादी फर्क पड़ेगा। इसलिए कि बहुत से अनरजिस्टर्ड लोग इसमें कूदेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं करा दिया है कि कम्पल्सरी करना ही होगा। अनरजिस्टर्ड भी बहुत करेंगे। उनकी मोनिटरिंग कैसे होगी, उन्हें कैसे चैक किया जाएगा कि वे गलत काम नहीं कर रहे हैं और किसानों को लूट नहीं रहे हैं? यह फैसला कैसे लिया जाएगा? इसकी मोनिटरिंग एन्फोर्समेंट और क्लॉज कैसे बाकायदगी से होगा? इसको कैसे किया जाए, यह फैसला होगा। हमने देखा है कि मलीहाबाद के आमों की फसल तीन-तीन साल पहले ही बुक हो जाती है, बनारस में पांच-पांच साल पहले हो जाती है। यह जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, यह एक सोच की ट्रेडिंग है। यहां पर ज्यादा होगी या नहीं होगी, यह इसका एक सवाल है। मैं यह समझता हूं कि इसमें एन्फोर्समेंट, मोनिटरिंग जैसी चीजों पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर यह सारे मुल्क में कायदे के मुताबिक नहीं हुआ तो यह बहुत नुकसान भी करेगा। बहुत से अनरिक्वाइज इसमें चले आएंगे। वे आकर किसानों को नुकसान भी पहुंचाएंगे। यह तय नहीं है कि किसान को पैसे की देनदारी, उसकी कंट्रोलिंग का कोई फिकरा इसमें नहीं दिया गया है। पूरा एक्ट पढ़ लीजिए कि कैसे किसान के पैसे को दिया जाएगा, अगर वह ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, अगर यह वक्त पर नहीं होती है तो उसकी पैनल्टी कैसे करेंगे? उसकी चैकिंग कैसे होगी? मंत्री जी, मेरा ख्याल है कि आप इस एक्ट को एक मर्तबा पूरा रिव्यू करवाइए। यह 1952 का एक्ट है, 1993 में रिकमेंडेशनस दी है। आप इसे पूरा रिव्यू कराके यह देख लीजिए कि इसमें किसान का कहीं से कोई नुकसान न हो। जैसे स्कैम का जिक्र हुआ, सेबी बनी तो स्कैम का जिक्र आ गया। ऐसा कमीशन होते हुए कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए मैं समझता हूं कि आप इसे जरूर दिखवा लें। इसकी मोनिटरिंग और एन्फोर्समेंट के बारे में जो बाइ लॉज बने हैं उन्हें इतना सख्त करें ताकि किसान को नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद।

SHRI P. G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, from the time the economic liberalisation of the Indian economy began, the successive Governments have been expanding the scope of future trading in India. The present Bill is to assess the role of the Forward Markets Commission.

The Government had constituted a Committee in June, 1993, under the Chairmanship of Prof. K.N. Kabra, a Professor of the Indian Institute of Public Administration, to review the operations of forward markets and to assess the role of the Forward Markets Commission.

The Committee submitted its proposals for amending the Forward Contracts Act, 1952, to strengthen the Forward Markets Commission as also arrangements for trading.

The Forward Markets Commission regulates commodity futures trading in India. Its role is identical to that of Commodity Futures Trading Commission of the United States.

The World Bank has acknowledge India's long experience in operating and managing commodity future markets. It has observed that restrictive policies have not provided India's agriculture future market a chance to contribute to price risk management and that the restrictive policies have discouraged them from upgrading their institutional capabilities.

Analysing all these, it is proposed to amend the existing Forward Contract (Regulations) Act, 1952. A modification of the definition of specific delivery contracts and non-transferable specific deliveries so as to make delivery of goods compulsory and to make performace of such a contract, by any means is, indeed, a welcome step.

Further, it is proposed to define Future Contract and to provide for regulation in section 19, which needs to be addressed at length at the time of implementation.

The implementing authorities should be very careful in recognising the dealings through brokers, in addition to the members of the commodity exchange, as there is always room for manipulations.

These amendments are aimed at strengthening the existing systems and developing marketing systems that are consistent with the economic liberalisation and globalisation. With these submissions, I welcome this Bill. Thank you.

SHRI B.P. APTE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to say a few words on this Bill. Sir, forward contracts in this country were helpful to the economy and therefore, were in use even before the Contract Act and after the enactment of the Contract Act. After Independence, it was found that there was something wrong with certain forward contracts. The contracts were not genuine and only differences were being paid and taken. Therefore, the present enactment which was made in the year 1952, came on the Statute Book. The enactment contemplated regulating the forward contracts, not

prohibiting. Here the relevance of the present amendment comes in. Forward contracts were regulated, but options in goods were totally prohibited. The amendment today seeks to remove this prohibition on options of goods and as regulating forward contracts is the objective of this legislation, now regulating options in goods has become the objective of this legislation and to that extent, it goes one step forward from the 1952 legislation. While doing this, there are two material restrictions and expansions brought in by the present Bill. One is making the delivery of goods compulsory so that the speculative part of forward contracting, which really becomes the bane of the industry, is avoided. Now the question of specific delivery contracts is clearly defined to demonstrate that there has to be not only an exchange of documents of title but also actual delivery of goods. Naturally, because the delivery of goods is made compulsory, the period for that purpose is sought to be extended from 11 days to 30 days. What is more important, according to me, is not this compulsion on the actual delivery of goods but the recognition of the fact that in trading looking to the future is necessary and only a spot transaction will not help. In a way, this is recognition of the present day needs where e-governance and e-business are taking shape; that you have to look into the future and talk to others without actually using the goods. therefore, now, even option in goods is not prohibited, but sought to be regulated.

Sir, one more important aspect of the amendment is regarding the provision for registration and, in a way, recognition of brokers by the Commission. Brokerage or agency was not exactly prohibited by the earlier legislation. But, now, it is sought to be regulated by making registration of the brokers compulsory by adding a new Chapter—Chapter III B—to the principal Act.

The other important amendment, which would in a way, help the forward contract, is the provision for brokers in participating in this, apart from the associations, which are made really the agencies for the purposes of controlling this forward contracting. Brokers are also now given a role to play and that make the forward contracting a forward looking business and from that point of view, actually, on the basis of certain recommendations of the committee, the present Bill is introduced. I believe this Bill will help the farmers. Therefore, I support this amendment. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the forward Contracts (Regulations) Amendment Bill, 1998. After this Bill is passed and becomes a part of the statute book, the delivery of goods in the specific delivery contract as well as in non-transferrable specific contract became an essential one. Therefore, once the delivery of goods becomes compulsory, the speculations in future contract, I hope, will be minimised. Sir, if the delivery is not made, I think, after this enactment, it will be punishable. And also, sundries cannot enter into the trade. Only the members of the Commodity Exchange as well as recognised brokers can enter into the business. If anybody, other than these two, enters into the business, they are punishable. Sir, then, I come to the definition. Previously it was fixed that delivery has to be made within eleven days under the ready delivery contract. Now, it has been extended to thirty days. Actually, it has removed the prohibition in the 'Option in goods.' What is 'Option in goods?' I would like to quote from the Report of the Committee. I quote from page sixteen of the Report of the Kabra Committee. I quote, "The options are risk management instrument that do not lock in prices but protect those who buy them against the unfavourable price movement while maintaining the possibility to profit from favourable funds. An option contract is the right, but not the obligation to purchase or sell a certain commodity at a pre-arranged price, the strike price or before a specified date..." This particular option was previously prohibited under Section 19 of the Act. I quote Section 19 of the Act. It says, "Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, all options in goods enter into after the date on which the Section comes into force shall be legal. This prohibition has been removed from this particular amendment bill. Sir, even though such things have happened, we want some more improvement in this Bill. I hope, the concerned Ministry had given some assurance to the Standing Committee that they were going to establish a National Commodity Exchange. Now, the forward Markets Commission is working. The enforcement division of the forward Markets Commission has to be further strengthened. The Forward Markets Commission should be empowered to have experienced people, professional people, and the people who are qualified in that particular area. If the Forward Markets Commission wants to have them, they must be empowered to do so. But this provision has not been incorporated in the amendment Bill. Therefore, I would like to know whether the Government would come forward with National Commodity Exchange.

Then, the third point that I wish to make is regarding the 'punishment'. Here, instead of a fine of Rs. 1,000 it is, now, Rs. 5,000. In Australia, the exemptions in income tax are according to the inflation of the country. Once the percentage of inflation is approved by the Government and published in the gazette, the income tax authorities can automatically enhance the exemptions of the income tax, according to the inflation. There is no such provision in this Act. The Act mentions the amount of fine from Rs. 1,000 to Rs. 5,000. But the Standing Committee had preferred something else. The Standing Committee was of the view that instead of mentioning the amount, prescribing the amount in the Act itself, it would like to leave it with the rules. According to the circumstances, the rules can be changed, and put before us. If it is not updated within thirty days, it would automatically come into effect. Therefore, instead of mentioning the amount, it can be in the rules. Then, they have mentioned Rs. 5,000 as the amount offline. But the Committee had recommended it to go up from Rs. 1,000 to Rs. 10,000. But the reason attributed by the Government for reducing it from Rs. 10,000 to Rs. 5,000 is, if it is Rs. 10,000 it will have to go to the District Judge, from there it will have to proceed to the High Court; but, if it is Rs. 5,000, a first-class judicial magistrate can deal with it, thereby, making it easy. But easy for whom? Is it easy for the nation or bureaucrats? Then, it can go to the District Magistrate from the first-class judicial magistrate. I think, the reason attributed by the Ministry has not been accepted by the Standing Committee. The observations of the Standing Committee were different. I quote from the report of the Standing Committee. It says, "The Committee is not satisfied with the reply of the Government that the Government will have to move amendments for increasing the quantum of fine, time and again. In the opinion of the Committee, the quantum of fine should be fixed in accordance with the gravity of the offence. The executive should have the powers to change the same". The Committee, therefore, recommended that instead of qualifying the fine, the word as prescribed in the existing law, should be substituted so that the executive has the powers to change the same as and when required, instead of moving fresh amendments to the Act.

Even though I support this Bill, I feel, it is incomprehensive one. It has to be further improved. I would also like that whatever observations have been made by the Standing Committee must have weightage in the Ministry. I hope, they will go through that, and will further improve it. With these words, I conclude, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): मंत्री जी, आप संक्षेप में जवाब दे दीजिए।

श्री शरद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस संशोधन बिल के बारे में कई सवाल उठाए हैं। जैसे सरला जी ने यह बात कही है कि इसके चलते किसानों को मिलने वाली जो मिनिमम सपोर्ट प्राईस है, उस पर असर पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसमें इस तरह के असर का कोई सवाल नहीं है, वह MSP रहेगी क्योंकि इसका असली वास्ता तो सिर्फ बाज़ार से है।

मैं मानता हूँ कि SEBI के बारे में आपने पहले भी शंकाएं व्यक्त की थीं और दो बार गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ की रोकथाम के लिए पूरी तरह ऐसा मुकम्मल इंतज़ाम किया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना न हो और वैश्विक व्यापार में इस तरह का कोई स्कैंडल न हो। इसके लिए हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं और हम FMC को मजबूत कर रहे हैं और इसे मजबूत करने के साथ ऐनफोर्समेंट की जो मशीनरी है, यह प्रावधान भी हमने इसमें रखा है कि उस ऐनफोर्समेंट की मशीनरी को मजबूत किया जाए। निश्चित तौर पर इस ऐक्ट के जरिए जो पेनाल्टी कम थी उस पेनाल्टी को एक हजार से पांच हजार, मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी में आप थी। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इसके अधिकार दे दिए जाएं। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं हुई कि इतनी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दी जाए। इसलिए उसका रेस्ट्रक्शन किया गया। विरुम्भी जी का जो कहना था, वह ठीक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट से बचने के लिए ऐसा किया गया है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें छोटे-छोटे संशोधन थे। स्टैंडिंग कमेटी में 25 सदस्य थे। काफी सोच-विचार करके इसमें न एम्प्लेसी को कोई असर होने वाला है। निश्चित तौर पर इसके बाज़ार पर पूरी तरह से एफएम्सी को मजबूत करना है वह काम इसमें किया गया है, इसके सुपरविजन की जो मशीनरी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और बाज़ार पर पूरी ताकत और पूरी तरह से नजर रखी जाए, जिस तरह से सेबी में हो गया है, वहां एक्सचेंज में जिस तरह का काम हो गया है उस तरह का इसमें रिपीट न हो और संशोधन में जो ऑप्शन गुड्स के हैं उसके बारे में नम्बर एक है। फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा ब्रोकर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है अर्थात् कुछ लोगों के हाथ में जो व्यापार या धंधा आ जाए उसके लिए ब्रोकर्स को एलाउ किया जाए जिस तरह से सेबी में सुधार किए गए हैं। जो सेबी में सुधार किए गए हैं वही सुधार एक कं बाद एक इममें भी इंसर्ट किए गए हैं। यह अनिवार्य बनाया गया है कि स्पेसिफाइड डिलीवरी कांट्रेक्ट है वे केवल फिजिकल डिलीवरी द्वारा ही सेटिल किए जाएं। पांचवां है, रेडी डिलीवरी कांट्रेक्ट के परफार्मेंस के लिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँ कि मान लो कश्मीर से केरल के लिए सामान पहुंचना है तो 11 दिन सफिसिएंट नहीं होते। यह सामान पहुंचने के लिए समय मिलना चाहिए तो यह अच्छा प्रावधान है कि इसमें 30 दिन दिए गए हैं। वायदा बाज़ार में 4 सदस्य की जगह 7 सदस्य किए जाएंगे जिससे एक्सपर्ट लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। जिससे यह मजबूत हो सके। मैं मानता हूँ कि जो फारवर्ड मार्केट कमीशन है आज उसमें

उतनी शक्ति नहीं है, जो वर्क फोर्स है वह भी कम है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर इस सदन में कहना चाहता हूँ कि इसको मजबूत किया जाएगा और मजबूत करने के बाद अभी तो इसकी शुरुआत है और शुरुआत में ही इसको ऐसा मजबूत किया जाएगा कि जैसा कि सरला जी ने जिस बात की ओर इशारा किया है जैसा कि पहले दो बार जो गड़बड़ हो चुकी है उस तरह का मामला इस में न हो। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर एश्योर करना चाहता हूँ कि उसके लिए सावधानी बरती जाएगी और इसी मकसद से इस संशोधन को लाने का काम हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो सारी बातें कही हैं, अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): प्रस्ताव यह कि:

"अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब हम धारावार विचार करेंगे।

धारा-2 से 4 विधेयक के अंग बने।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): क्लॉज-4ए का एक संशोधन है। माननीय शरद यादव जी,

NEW CLAUSE-4A

SHRI SHARAD YADAV: Sir, I move:

8. That at page 2, after line 28, the following clause be inserted, namely,—

"4A. In Section 4A of the principal Act, in sub-section (3),—

- (i) for the words and figures "Code of Criminal Procedure 1898", the words and figures "Code of Criminal Procedure 1973" shall be substituted.
- (ii) for the words and figures "Section 482 of the said Code", the words and figures "Section 346 of the said Code" shall be substituted.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

धारा-4 ए यथासंशोधित विधेयक का अंग बनी।

धारा पांच विधेयक का अंग बनी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा-6, इसमें एक संशोधन है।

CLAUSE-6: AMENDMENT OF SECTION 14 a

SHRI SHARAD YADAV: Sir, I move:

(No. 4) That at page 2, line 38, for the figure "1998" the figure "2003" be substituted.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

धारा 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी।

धारा-7 से 9 विधेयक का अंग बने।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा-1, इसमें एक संशोधन है।

CLAUSE 10: AMENDMENT OF SECTION 20

SHRI SHARAD YADAV: Sir, I move:

(No.5) That at page 4, for lines 13-14, the following be substituted, namely-

"(b) after clause (e), in clauses (i) and (ii), for the words 'one thousand rupees', the words 'five thousand rupees but which may extend to twenty five lakh rupees' shall be substituted."

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

धारा-10 यथासंशोधित विधेयक का अंग बनी।

उपासभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा-11, इसमें एक संशोधन है।

CLAUSE 11: AMENDMENT OF SECTION 21

श्री शरद यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

(6) पृष्ठ 4, पंक्ति 14-15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"11 क, मूल अधिनियम की धारा 21 के, खंड (ज) के उपखंड (प) और खंड (पप) में, 'एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा' शब्दों के स्थान पर, पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

धारा-11 यथासंशोधित विधेयक का अंग बनी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा 11 (क) और 11 (ख) में भी एक संशोधन है।

NEW CLAUSES 11 A AND B AMENDMENT OF SECTION 22 A

श्री शरद यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

(7) पृष्ठ 4, पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“11 क. मूल अधिनियम की धारा 22 क की उपधारा (2) में:-

9. “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898” शब्दों और अंकों के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

10. “उक्त संहिता की धारा 98” शब्दों और अंकों के स्थान पर “उक्त संहिता की धारा 94” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

AMENDMENT OF SECTION 23

“11ख. मूल अधिनियम की धारा 23 में “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898” शब्दों और अंकों के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1983” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

धारा-11 क एवं ख यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।

धारा-12 विधेयक का अंग बनी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): धारा-1, इसमें एक संशोधन है।

SHORT TITLE

श्री शरद यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

(2) पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, “1998” के स्थान पर “2003” प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

खंड 1 यथासंशोधित विधेयक का अंग बना।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अधिनियमन सूत्र, इसमें भी एक संशोधन है:-

ENACTING FORMULA

श्री शरद यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में “उनचासवें” शब्द के स्थान पर “चौवनवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

{15 December, 2003}

RAJYA SABHA

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित विधेयक का अंग बना।

शीर्षक विधेयक का अंग बना।

SHRI SHARD YADAV: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

प्रस्ताव पारित हुआ।

STATEMENT BY MINISTER

Action Against Indian Insurgent Groups Operating from Bhutan

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Vice-Chairman, Sir, we have been informed by the Royal Government of Bhutan that they have launched today military action against Indian insurgent groups operating from camps in that country. The Government of India strongly supports this action of the Royal Government of Bhutan.

His Majesty, the King of Bhutan, had telephonically informed the Prime Minister of the impending action on Saturday, 13th December.

The Prime Minister has conveyed to His Majesty, the King, that the Government and people of India stand firmly and solidly behind the Royal Government of Bhutan at this critical juncture and would provide all necessary support as requested, till the task is completed.

The Indian Army is also taking necessary measures to intercept movements of militants from Bhutan into India.

The Government of India has advised the State Governments of Assam and West Bengal to remain alert to deal with the situation arising out of this action, including sealing the borders and maintaining peace.

The Royal Government of Bhutan has always assured the Government of India that it will not allow its territory to be used for activities inimical to India's interest. The launch of operations against Indian insurgent groups in Bhutan has struck a blow against terrorism and terrorist activities in our entire region.